POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति – दिनांक 27.06.2024

1.थाना बीटा 2 पुलिस व बदमाशों के बीच हुई पुलिस मुठभेड में 01 घायल बदमाश सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तो के कब्जे से लूटे गये पाँच मोबाइल फोन, 01 तमन्चा, 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त मो0सा0 बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **27.06.2024** को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा एनआरआई कट गन्दे नाले के पास चैकिंग के दौरान मो0सा0 सवार को रूकने का इशारा किया, बदमाश पुलिस को देख भागने लगे जिस पर पुलिस द्वारा बदमाशों का पीछा किया जाने लगा। पुलिस को आता देख बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गयी। आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में बदमाश शुहेब पुत्र सलीम निवासी सराय झांझर थाना सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर गोली लगने से घायल तथा इसके साथी फजल पुत्र फरीद निवासी सरकारी अस्पताल के पास कस्बा व थाना सिकन्दराबाद बुलन्दशहर को **गिरफ्तार** किया गया है। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं जो कि राह चलते व्यक्तियों से मोबाइल फोन लूटने / छीनने की घटना को अन्जाम देते हैं। अभियुक्तों के कब्जे से लूटे गये पांच मोबाइल फोन, 01 तमन्चा, 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त मो0सा0 स्पलैण्डर रजि0 नम्बर यूपी 14 बीए 7440 बरामद।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. शुहेब पुत्र सलीम निवासी सराय झांझर थाना सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर (घायल)

2. फजल पुत्र फरीद निवासी सरकारी अस्पताल के पास कस्बा व थाना सिकन्दराबाद बुलन्दशहर

बरामदगी का विवरण--

1. 01 तमंचा मय 02 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर

2. घटना मे प्रयुक्त मो0सा0 स्पलैण्डर नम्बर यूपी 14 बीए 7440 थाना कंकर खेडा जनपद मेरठ के मु0अ0सं0 817/2016 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित

3. लूटे गये पाँच मोबाइल फोन

2. थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा, फर्जी जीएसटी फर्म्स का दुर्विनियोग कर अरबों रूपयों की आईटीसी(ITC-INPUT TAX CREDIT) का फ्रॉड करने वाले गिरोह का "25000"/- रूपयों का इनामी/वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी फर्म के लेटर पैड, रेंट एग्रीमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड व एक मोबाइल फोन आदि बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **27.06.2024** को थाना सेक्टर 20 पुलिस एवं सीआरटी की संयुक्त टीम द्वारा फर्जी जीएसटी फर्म्स का दुर्विनियोग कर अरबों रूपयों की आईटीसी (ITC-INPUT TAX CREDIT) का फ्रॉड करने वाले गिरोह का "25000"/- रूपयों का इनामी अभियुक्त बाबर खान पुत्र सादिक खान को लोनी तिराहा गाजियाबाद से **गिरफ्तार** किया गया है।

अभियुक्त का विवरण--

1. बाबर खान पुत्र सादिक खान निवासी मुस्तफा बाद पश्चिम बिश्मिला मस्जिद लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 0203/2023 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना सेक्टर-20 नोएडा गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 0248/2023 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना सेक्टर-20 नोएडा गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 0255/2023 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना सेक्टर-20 नोएडा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. रघुपति ओवर सीज प्रा0 लि0 के फर्जी टैक्स इंवाइस 31
2. रेटं एग्रीमेंट/ आधार कार्ड/पैन कार्ड/ बिजली बिल

3. फर्जी फर्म के लेटर पैड व रजि0 प्रपत्र
4. बैंक आफ बड़ौदा का कंर्सन लेटर
5. 01 अदद मोबाइल फोन वीवो कम्पनी

3. थाना जेवर पुलिस द्वारा करोड़ों रुपयों की जमीन फर्जी दस्तावेज बनाकर रजिस्ट्री कराने वाले गैंग का किया पर्दाफाश

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **26/06/2024** को वादी की तहरीर पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 223/24 धारा 419/420/467/468/471/406 भादवि पंजीकृत किया गया। थाना जेवर पुलिस द्वारा कल दिनांक 26/06/2024 को अभियुक्तों 1. नीटू पुत्र लाल सिंह निवासी हसनपुर थाना जहांगीरपुर जनपद बुलन्दशहर, 2. जयवीर सिंह पुत्र अशोक कुमार राजपूत निवासी हसनपुर थाना जहाँगीरपुर बुलन्दशहर 3.भूरा कुमार पुत्र सुरेश सिह निवासी उपरोक्त 4. सौरभ कुमार पुत्र देवी राम निवासी दस्तमपुर थाना जेवर गौतमबुद्धनगर 5. पिन्कू उर्फ देवीचरण पुत्र जगदीश शर्मा निवासी जबा थाना जहाँगीरपुर बुलन्दशहर 6. राहुल भाटी पुत्र रामकिशोर भाटी निवासी मुरादगढी थाना रबूपुरा जनपद गौतमबुद्धनगर 7. प्रथम भाटी पुत्र धन सिंह भाटी निवासी मुरादगढ़ी थाना रबुपुरा जनपद गौतमबुद्धनगर को झाझर अण्डरपास के पास के नीचे बने कमरे के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण अपनी जालसाजी का पर्दाफाश होने के बाद हड़प की गयी धनराशि के बंटवारे के सम्बन्ध में एकत्रित हुए थे। जिसमें बाकी का रूपया रिंकू पुत्र भोजराज नि0 मुरादगढी थाना रबुपुरा जनपद गौतमबुद्धनगर के पास था। जो बंटवारे के दौरान आने की संभावना थी। अभियुक्तगणों को मौके से **गिरफ्तार** किया गया। जिनके पास से उक्त जमीन के हड़प किये पैसों में से 01 लाख 07 हजार रुपये बरामद हुए हैं व 07 मोबाईल (अभियुक्तगणों के) तथा 01 पैन कार्ड (फर्जी) , 01 आधार कार्ड (फर्जी) व कैंसिल चौक बरामद हुए । फरार अभियुक्त रिंकू की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 26/06/2024 को वादी नें एक प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्तों 1. नीटू पुत्र लाल सिंह 2. जयवीर सिंह पुत्र अशोक कुमार राजपूत 3.भूरा कुमार पुत्र सुरेश सिह 4. सौरभ कुमार पुत्र देवी राम 5. पिन्कू उर्फ देवीचरण पुत्र जगदीश शर्मा 6. राहुल भाटी पुत्र रामकिशोर भाटी 7. प्रथम भाटी पुत्र धन सिंह भाटी द्वारा दिनांक 24.06.2024 को ग्राम कानपुर थाना रबुपुरा क्षेत्र की 14 बीघा जमीन के बैनामे हेतु गौतम सिंह पुत्र रामकुमार सिंह निवासी मौहल्ला बनीसराय थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर अपने साथी योगेश शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा निवासी कानपुर थाना रबुपुरा जनपद गौतमबुद्धनगर व क्रेता मधुर गोयल, हार्दिक गोयल पुत्रगण पंकज गोयल निवासी म0नं0 656 सैक्टर 13/17 हुड्डा पानीपत हरियाणा के साथ उपनिबन्धक कार्यालय जेवर गये थे। जहां पर उक्त जमीन की रजिस्ट्री होनी थी। उक्त अभियुक्तों ने जमीन के सौदे के दौरान दिनांक 20.04.2024 को उक्त जमीन के सौदे के सम्बन्ध में उक्त सभी लोगों से वार्ता हुई थी। वार्ता के पश्चात जमीन का सौदा 17 लाख रुपये प्रति बीघा में तय हुआ।

जिसकी कुल कीमत 2 करोड 38 लाख रुपये तय हुई। जिनमें क्रेता ने 15 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से प्रतिरूपित वैभव के कोटक महिन्द्रा बैंक के अकाउंट ट्रांसफर किये थे व 6 लाख रुपये नगद दिनांक 20.04.2024 को दे दिये थे। दिनांक 24.06.2024 को बैनामे के समय उक्त सभी साजिशकर्ता अभियुक्तगण व वादी क्रेता मधुर गोयल व हार्दिक गोयल व साथी योगेश शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा के साथ रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित हुए थे। सभी प्रपत्र तैयार हो चुके थे। उसी समय जब विक्रेता अपनी माता के साथ रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचा तो वादी के साथी योगेश शर्मा व जगदीश शर्मा ने विक्रेता को देखकर बताया कि ये जमीन के असली मालिक नहीं हैं। यह बात सुनकर उक्त सभी अभियुक्तगण व प्रतिरूपित अभियुक्तगण मौके से फरार हो गये थे। अभियुक्तगणों ने जमीन के असली मालिक वैभव पुत्र रणवीर उपरोक्त के व उसके भाई गौरव पुत्र रणवीर व माता श्रीमती नीरज पत्नी रणवीर के नाम के फर्जी आधार कार्ड व पैन कार्ड बनवाकर प्रतिरूपित व्यक्ति प्रथम भाटी पुत्र धन सिंह भाटी निवासी मुरादगढ़ी थाना रबुपुरा जनपद गौतमबुद्धनगर व श्रीमती सीमा पत्नी अज्ञात निवासी खुर्जा को वैभव की माता के तौर पर तैयार कर वादी व उसके साथियों से धोखाधड़ी व जालसाजी करते हुए कूटरचित दस्तावेजों को प्रस्तुत कर 21 लाख रुपये का गबन किया है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. नीटू पुत्र लाल सिंह निवासी हसनपुर थाना जहांगीरपुर जनपद बुलन्दशहर,
2. जयवीर सिंह पुत्र अशोक कुमार राजपूत निवासी हसनपुर थाना जहाँगीरपुर बुलन्दशहर
3. भूरा कुमार पुत्र सुरेश सिह निवासी उपरोक्त
4. सौरभ कुमार पुत्र देवी राम निवासी दस्तमपुर थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
5. पिन्कू उर्फ देवीचरण पुत्र जगदीश शर्मा निवासी जबा थाना जहाँगीरपुर बुलन्दशहर
6. राहुल भाटी पुत्र रामकिशोर भाटी निवासी मुरादगढी थाना रबूपुरा जनपद गौतमबुद्धनगर
7. प्रथम भाटी पुत्र धन सिंह भाटी निवासी मुरादगढ़ी थाना रबुपुरा जनपद गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. 01 लाख 07 हजार रुपये
2. 07 मोबाईल फोन (अभियुक्तगण के)
3. 01 पैन कार्ड प्रतिरूपित वैभव कुमार
4. 01 आधार कार्ड प्रतिरूपित वैभव कुमार
5. 01 कैंसिल चैक

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. **नीटू पुत्र लाल सिंह निवासी हसनपुर थाना जहांगीरपुर जनपद बुलन्दशहर**

मु0अ0सं0 223/2024 धारा 419/420/467/468/471/406 भादवि थाना जेवर गौतमबुद्धनगर

2. **जयवीर सिंह पुत्र अशोक कुमार राजपूत निवासी हसनपुर थाना जहाँगीरपुर बुलन्दशहर**

मु0अ0सं0 223/2024 धारा 419/420/467/468/471/406 भादवि थाना जेवर गौतमबुद्धनगर

3. **भूरा कुमार पुत्र सुरेश सिह निवासी उपरोक्त**

मु0अ0सं0 223/2024 धारा 419/420/467/468/471/406 भादवि थाना जेवर गौतमबुद्धनगर

4. **सौरभ कुमार पुत्र देवी राम निवासी दस्तमपुर थाना जेवर गौतमबुद्धनगर**

A. मु0अ0सं0 223/2024 धारा 419/420/467/468/471/406 भादवि थाना जेवर गौतमबुद्धनगर

B. मु0अ0सं0 39/23 धारा 323/325/504/506 भादवि व धारा 3(1)घ/3(1)द/3(2)(अं) एससी/एसटी एक्ट थाना जेवर गौतमबुद्धनगर

C .मु0अ0सं0 308/323/325/504/506 भादवि थाना बीटा-2 जनपद गौतमबुद्धनगर

5. **पिन्कू उर्फ देवीचरण पुत्र जगदीश शर्मा निवासी जबा थाना जहाँगीरपुर बुलन्दशहर**

मु0अ0सं0 223/2024 धारा 419/420/467/468/471/406 भादवि थाना जेवर गौतमबुद्धनगर

6. **राहुल भाटी पुत्र रामकिशोर भाटी निवासी मुरादगढी थाना रबूपुरा जनपद गौतमबुद्धनगर**

मु0अ0सं0 223/2024 धारा 419/420/467/468/471/406 भादवि थाना जेवर गौतमबुद्धनगर

7. **प्रथम भाटी पुत्र धन सिंह भाटी निवासी मुरादगढ़ी थाना रबुपुरा जनपद गौतमबुद्धनगर**

मु0अ0सं0 223/2024 धारा 419/420/467/468/471/406 भादवि थाना जेवर गौतमबुद्धनगर